न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1831-तीन/... (पुराना प्रक्र... 31–तीन/96) विरूद्ध आदेश दिनांक 30-03-96 पारित द्वारा आयुक्त ... संभाग रीवा प्रकरण कमांक 3.../निग./95-96

मोहम्मद नईम बेग पुत्र ...
निवासी चरगोड़ा, तहसील सिंगरौली
जिला सीधी म.प्र. ... आवेदक

विरूद्ध

1– मोलई राम सा0 चरगोड़ा
2– कालिका राम
3– जगदीश सा0 चरगोड़ा
4– हंस लाल
5– रामवती
6– कन्हई लाल
सभी कौम अनुसूचित जाति
तहसील सिंगरौली जिला सीधी म.प्र. ... अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर.के. शर्मा

आदेश
(आज दिनांक ... को पारित)

यह निगरानी आयुक्त ... संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक ... /95–96 में पारित आदेश दिनांक 30-03-96 के विरूद्ध म.प्र. ... संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप ... कि विवादित भूमि ... पर आवेदक द्वारा ... तहसीलदार ने मौके पर रास्ता खुलवा दिया इस आदेश के विरूद्ध ...

अपर कलेक्टर, बैढ़न के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो उन्होंने निरस्त की। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने पुनः निगरानी अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जो आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है। आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किए गए हैं।

4– अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं।

5– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण शासकीय भूमि पर मेंटरी डालकर अवरोध करने के संबंध में है। तहसीलदार ने स्थल निरीक्षण के उपरान्त रास्ता खुलवाया है। अपर कलेक्टर ने निगरानी में तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया जिसके विरूद्ध आलोच्य आदेश पारित किया गया है। आयुक्त ने अपने आदेश के पैरा 4 में यह अंकित किया है कि नायब तहसीलदार ने स्थल निरीक्षण के बाद रास्ते का जो अवरोध हुआ था उसे हटाया है और प्रकरण का अंतिम निराकरण अभी होना बाकी है। आवेदक जो अपने तर्क गुणदोष पर हैं उनके समक्ष उठाए और उन्होंने यह माना है कि आवेदक ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके जो रास्ता है उसे हटाकर नायब तहसीलदार ने खुलवा दिया है। इस प्रकार प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती हैं। प्रकरण में अभी गुणदोष पर निर्णय विचारण न्यायालय में होना है ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर